



दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

भारत में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक
शक्तिशाली न्यायिक उपाय

भारत में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक शक्तिशाली न्यायिक उपाय

संदर्भ

- भारत को अपशिष्ट प्रबंधन में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें प्लास्टिक प्रदूषण और अप्रसंस्कृत ठोस अपशिष्ट शामिल हैं। इस संकट के समाधान के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

भारत में ठोस अपशिष्ट

- भारत प्रतिदिन 170,000 टन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है, जिसमें से 156,000 टन एकत्र किए जाते हैं।
- एकत्रित कचरे का 54% प्रसंस्कृत किया जाता है, जबकि 24% लैंडफिल में डंप किया जाता है (वित्त वर्ष 2021-22)।
- शेष 22% अपशिष्ट अनियंत्रित आपूर्ति शृंखला रिसाव के कारण लापता रहता है।
- 10 लाख+ जनसंख्या वाले शहर भारत के कुल अपशिष्ट उत्पादन का लगभग 50% योगदान देते हैं।
- 2050 तक भारतीय शहरों में 435 मिलियन टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होने की संभावना है।

अपशिष्ट प्रबंधन में चुनौतियाँ

- प्लास्टिक प्रदूषण:** भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक है, जो प्रति वर्ष 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक उत्सर्जित करता है—यह वैश्विक प्लास्टिक उत्सर्जन का 20% है।
 - औपचारिक आँकड़ों के अनुसार, भारत प्रति व्यक्ति प्रति दिन 0.12 किलोग्राम प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न करता है।
- अनियंत्रित डंपिंग और लैंडफिल:** भारत में डंपसाइट्स की संख्या स्वच्छ लैंडफिल्स से 10 गुना अधिक है, जिससे गंभीर पर्यावरणीय क्षति होती है।
 - सरकारी रिपोर्टों में 95% अपशिष्ट संग्रह कवरेज बताया गया है, लेकिन इसमें ग्रामीण क्षेत्रों, खुले में जलाए जाने वाले कचरे, और अनौपचारिक पुनर्चक्रण गतिविधियों को शामिल नहीं किया गया है, जिससे प्रबंधन का आकलन गलत होता है।
- भारत में ई-कचरा उत्पादन:** 2018 से दोगुना हो गया है, और वित्त वर्ष 2022 में 1.6 मिलियन मीट्रिक टन को पार कर गया।
 - इसमें से केवल एक-तिहाई ही एकत्र और प्रसंस्कृत किया गया है।
- विश्वसनीय डेटा और पारदर्शिता की कमी:** अपशिष्ट उत्पादन डेटा प्रायः अधूरा होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों और अनौपचारिक पुनर्चक्रण प्रयासों को औपचारिक रिपोर्टों में शामिल नहीं किया जाता।
 - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) नगर निकायों के डेटा पर निर्भर करता है, लेकिन विधियाँ अस्पष्ट बनी हुई हैं।

न्यायिक और सरकारी हस्तक्षेप

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका:** सर्वोच्च न्यायालय ने अपशिष्ट अलगाव को अनिवार्य बताया है, जो घर के स्तर से प्रारंभ होना चाहिए।
 - निरंतर न्यायिक निगरानी (Continuing Mandamus) का सुझाव दिया गया है ताकि अपशिष्ट प्रबंधन कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

- उच्च न्यायालय निर्देश: विभिन्न उच्च न्यायालयों ने कड़े आदेश जारी किए हैं, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कड़े अनुपालन को सुनिश्चित करना शामिल है।
 - नगर निकायों द्वारा अपशिष्ट निपटान तंत्र को ठीक से लागू न करने के मामलों में अदालतों ने हस्तक्षेप किया है।

सतत परमादेश क्या है?

- एक न्यायिक उपकरण जो अदालतों को पर्यावरण कानूनों और नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निर्देश जारी करने की अनुमति देता है।
- यह निरंतर निगरानी को सक्षम बनाता है, अपशिष्ट प्रबंधन उपायों को लागू करने के लिए अधिकारियों को जवाबदेह बनाता है।

न्यायिक निगरानी के लाभ

- डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
- अपशिष्ट पृथक्करण, पुनर्चक्रण और वैज्ञानिक निपटान प्रथाओं के पालन को बढ़ावा देता है।
- सरकारी एजेंसियों, स्थानीय निकायों और नागरिकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

सरकारी पहल

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (2016):
 - विकेंट्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, स्रोत पर पृथक्करण, और वैज्ञानिक निपटान पर बल देता है।
 - प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) अनिवार्य करता है।
 - EPR नियमों में न्यूनतम पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण / नवीनीकरण, और पुनर्नवीनीकरण सामग्री के उपयोग के लक्ष्यों को अनिवार्य किया गया है, जिससे परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।
- स्वच्छ भारत मिशन (SBM):
 - शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना में सुधार पर केंद्रित।
 - समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, विशेष रूप से अपशिष्ट पृथक्करण और खाद उत्पादन में।
- अपशिष्ट-से-ऊर्जा परियोजनाएँ:
 - लैंडफिल पर निर्भरता को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करता है।

आगे की राह

- अपशिष्ट पृथक्करण को मजबूत करना:
 - अपशिष्ट पृथक्करण नीतियों का पालन न करने पर कठोर दंड लागू किया जाए।
 - स्थानीय भागीदारी बढ़ाने के लिए सामुदायिक-आधारित अपशिष्ट प्रबंधन पहलों को प्रोत्साहित किया जाए।
- पुनर्चक्रण और परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना:
 - अनौपचारिक अपशिष्ट पुनर्चक्रकों को औपचारिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों में एकीकृत किया जाए।
 - लैंडफिल निर्भरता को कम करने के लिए अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा दिया जाए।

- डेटा संग्रहण और पारदर्शिता में सुधार:
 - अपशिष्ट उत्पादन और निपटान की सटीक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए तृतीय-पक्ष ऑडिट आयोजित किए जाएँ।
 - ग्राम क्षेत्रों और अनौपचारिक अपशिष्ट प्रसंस्करण को निगरानी तंत्र में शामिल किया जाए।
- मिशन LiFE के साथ संरेखण:
- मिशन लाइफ (LiFE) के ‘अपशिष्ट में कमी’ थीम के अनुरूप, शहरों को शून्य अपशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र (जैसे शून्य-अपशिष्ट वार्ड, कार्यक्रम, समाज और उत्सव) को बढ़ावा देना चाहिए।

निष्कर्ष

- भारत की अपशिष्ट प्रबंधन समस्या को नीतिगत सुधारों, न्यायिक निगरानी, और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से तत्काल समाधान की आवश्यकता है।
- अपशिष्ट पृथक्करण, पुनर्चक्रण अवसंरचना, और डेटा पारदर्शिता को मजबूत करना देश में बढ़ती अपशिष्ट चुनौती को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।
- शहरीकरण के तेजी से बढ़ने के साथ, भारत को स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को अपनाना चाहिए ताकि अपने पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके।

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारत के अपशिष्ट प्रबंधन संकट को दूर करने में न्यायिक हस्तक्षेप की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

Source: TH

